राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामधन बनाम शंकर

तारीख हुक्म	256/2011 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो |	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20/05/2009 पारित करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/06/2011 पारित करते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20/05/2009 को घासी के वारिसान के नाम नामान्तकरण खोले जाने की हद तक आगे नही बढाये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 20/05/2009 की अवधि को फौती नामान्तकरण खोले जाने तक आगे नही बढाये जाने का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है एवं अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसमे अपील के माध्यम से उठाये गये उज्र के आधार पर कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/06/2011 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	